न्यायालय सत्र न्यायाधीश, एटा।

सत्र परीक्षण सं0 441/2016

राज्य बनाम आशीष।

मु0अ0सं0–165/2012
धारा–302,201 भा0दं0सं0।
थाना–मिरहची, जिला एटा।

19.08.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त आशीष उर्फ आशू की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त आशीष उर्फ आशू की लगातार अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांति 16.07.2016 द्वारा उसकी पत्रावली अन्य सहअभियुक्त से पृथक की गयी थी। अन्य सहअभियुक्त शम्भू सक्सैना व शेखर शर्मा का मामला दिनांक 22.08.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–द्वितीय, एटा द्वारा गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किया जा चुका है। अभियुक्त आशीष उर्फ आशू के विरूद्ध लगातार गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये, परंतु वह उपस्थित नहीं आया। पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.08.2016 द्वारा अभियुक्त आशीष उर्फ आशू को फरार घोषित किया जा चुका है।

साक्षी पी0डब्लू0 01 योगेश कुमार चौहान का बयान अंकित किया गया, जिसने संबंधित पत्रावली पर दिये गये बयान व उस पर उससे संबंधित प्रदर्शों की पुष्टि की गयी।

पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

ऐसी स्थिति में अभियुक्त आशीष उर्फ आशू के निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की संभावना विदित नहीं होती है। ऐसे में पत्रावली धारा 299 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत निम्नांकित निर्देशों के अधीन अभिलेखागार प्रेषित की जाये:–

1. अभियुक्त आशीष उर्फ आशू के विरूद्ध स्थाई गैर–जमानती वारंट निर्गत कर संबंधित थाने प्रेषित किये जायें।
2. अभियुक्त आशीष उर्फ आशू के गिरफ्तार होने की दशा में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये व पत्रावली को अभिलेखागार से तलब किया जाये।
3. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सूची तथा पत्रावली के कवर पर लाल स्याही से **''विनष्ट न होने वाली पत्रावली''** अंकित किया जाये।
4. संबंधित थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश की एक प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जाये कि वह अभियुक्त आशीष उर्फ आशू को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सत्र न्यायाधीश, एटा।
19.08.2026

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.08.19 16:01:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court